

भास्कर ए. सावंत

अध्यक्ष डिस्कॉम्स

विद्युत भवन, जनपथ
जयपुर- 302005

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड • अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड • जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
रजि० कार्या० विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर-302005. दूरभाष: 0141-2740382-1318. फ़ैक्स: 0141-2747035
वेबसाईट : www.jaipurdiscom.com; email: cmd@jvvnI.in, CIN: U40109RJ2000SGC016486

क्रमांक. अध्यक्ष डिस्कॉम्स / एमआईएस / पत्रा. / प्रे. 182

जयपुर, दिनांक: 31.08.2015

दिशा निर्देश

माननीय ऊर्जा मंत्रियों के दिनांक 09 व 10 अप्रैल, 2015 को आयोजित सम्मेलन में पारित प्रस्तावों की अनुपालना में सभी सम्बंधित अधिकारी विभिन्न कार्य योजनाओं में हो रही मासिक प्रगति के बारे में अध्यक्ष डिस्कॉम्स को अवगत करावें व कार्य निर्धारित समय अवधि में हो इसके लिये सम्पूर्ण प्रयास उनके स्तर पर किये जाने आवश्यक है।

1. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना व आई.पी.डी.एस. के अन्तर्गत योजनायें स्वीकृत होने के तीन माह में कॉन्ट्रैक्ट आदेश आवश्यक रूप से जारी कर दिये जावें।

अधीक्षण अभियंता (टी.डब्लू) / मुख्य अभियंता (एम.एम. / डी.डी.यू.जी.जे.वाई. / प्लान / पी.पी.एम.)

2. आर.जी.जी.वी.वाई. 11वीं योजना के क्लोजर तुरन्त प्रभाव से किये जावें, आर.ए.पी. डी.आर.पी. पार्ट- 'ए' व 'बी' योजनाओं की वर्तमान प्रगति के बारे में विस्तृत नोट तथा कार्य नियत तिथि तक पूरा करने की योजना प्रस्तुत करें।

मुख्य अभियंता (आई.टी.) / अधीक्षण अभियंता (टी.डब्लू.)

3. 2019-20 तक 15 प्रतिशत ए.टी. एण्ड सी. छीजत लाने का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु वृत्त व जिलेवार ट्रेजेक्टरी सभी अधीक्षण अभियंताओं को सूचित करें व छीजत कम करने की क्या कार्य योजना है कितनी छीजत कम करने का आंकलन किस-किस कार्य से किया गया है, कार्यों को पूर्ण करने की क्या समय सीमा है, अब तक के कार्यों की प्रगति एवं जिलेवार विद्युत छीजत कम करने की योजना 30 अगस्त, 2015 तक प्रस्तुत करें व कार्य योजना की मोनीटरिंग के परिणाम प्रत्येक माह की 25 तारीख तक प्रस्तुत करें।

मुख्य लेखाधिकारी (राजस्व / कंट्रोल)

4. पावर फॉर ऑल के अंतर्गत चिन्हित अविद्युतीकृत क्षेत्रों के विद्युतीकरण व वितरण तंत्र को सुदृढ करने की कार्य योजना की जिलेवार प्रगति व नोट प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करें। समुचित प्रगति न होने की स्थिति में की जा रही कार्यवाही की रिपोर्ट भी संलग्न की जावे।


मुख्य अभियंता (पीपीपी / वाणिज्य)

5. कनेक्शन जारी करने हेतु वर्तमान नियमों का सरलीकरण इस प्रकार से हो कि कृषि कनेक्शन हेतु आवेदन के अतिरिक्त सभी आवेदकों को 15 दिन में कनेक्शन दिया जा सके व आवेदन प्रारूप का सरलीकरण व संलग्न प्रपत्रों की आवश्यकता का निर्धारण करने हेतु यह देखा जावे कि क्या वे सभी कनेक्शन जारी करने हेतु आवश्यक है। इस पर विस्तृत विचार विमर्श कर 25 अगस्त, 2015 तक तीनों वितरण निगमों के मुख्य अभियंता (वाणिज्य / पीपीएम) विस्तृत नोट निदेशक

(तकनीकी) को प्रस्तुत करें। तीनों निदेशक (तकनीकी) इस पर विचार विमर्श कर आगामी डी.सी.एफ. में अपने समग्र प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु ऐजेन्डा प्रस्तुत करें।

मुख्य अभियंता (पीपीएम/वाणिज्य)/निदेशक (तकनीकी)

उपरोक्त कार्यों के लिये इंगित अधिकारी अपनी रिपोर्ट 25 अगस्त, 2015 तक निदेशक (तकनीकी)/निदेशक (वित्त), के माध्यम से सम्बंधित प्रबंध निदेशकों के अनुमोदन उपरान्त निदेशक (वित्त/तकनीकी) जयपुर को भेजे ताकि वे तीनों निगमों के स्तर पर की जा रही कार्यवाही की संकलित स्थिति अध्यक्ष डिस्कॉम्स को 30 अगस्त, 2015 तक प्रस्तुत कर मासिक समीक्षा हेतु कार्य योजना प्रस्तुत करें।


(भास्कर ए. सावंत)
अध्यक्ष डिस्कॉम्स

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. प्रबन्ध निदेशक, अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, अजमेर/जोधपुर ।
2. निदेशक (वित्त/तकनीकी), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, ।
3. संभागीय मुख्य अभियन्ता (), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर ।
4. मुख्य अभियन्ता (पीपीपी/पीपीएम/वाणिज्य/आईटी), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, ।
5. अधीक्षण अभियंता (टी.डब्लू/आई.टी.), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर ।
6. सचिव (प्रशासन), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर /अजमेर/जोधपुर ।
7. मुख्य लेखाधिकारी (राजस्व/कंट्रोल/.....), जयपुर/अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर ।
8. प्रावैधिक सहायक-माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार
9. प्रावैधिक सहायक-अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर ।
10. प्रावैधिक सहायक-प्रबंध निदेशक, अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम, अजमेर/जोधपुर ।


अध्यक्ष डिस्कॉम्स